

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

पं० 12/2026

रोहिताश पुत्र औमप्रकाश जाति सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील टिब्बी
पवन कुमार पुत्र चानणराम जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

औमप्रकाश

चानणराम पि० लूणाराम

केशुराम

भूपसिंह

5. रायसाहब पुत्र औमप्रकाश

6. रणवीर सिंह पुत्र चानणराम अकवाम सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील

7. सरोज पुत्री चानणराम टिब्बी जिला हनुमानगढ।

8. विनोद कुमार पुत्र केशुराम

9. संतोष पुत्री औमप्रकाश पत्नी विनोद कुमार अकवाम सुथार निवासीयान भुरानपुरा

10. कमला देवी पुत्री औमप्रकाश पत्नी सुभाष तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

11. बृहन्नीलदास अकवाम सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील टिब्बी।

प्रतिवादीगण



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादीसं० 1 रोहिताश व प्रतिवादीसं० 5 रायसाहब को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकनं० 10 आर. डबल्यू डी के 228/371 मु० 51 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० गै०मु० खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु० खाला, 3/1/.228, 3/2/.025 है० गै०मु० खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै०मु० खाला कुल 1.012 है०

ख. वादीसं० 2 पवन कुमार व प्रतिवादीसं० 6 रणवीर को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकनं० 12 आर. डबल्यू डी के प०न० 228/385 मु० 29 किलानं० 8/009 है० दक्षिणी दिशा, 9/.200 दक्षिणी दिशा, 10/.178 है० दक्षिणी दिशा, 11/.134 है० पूर्वी दिशा, 12/.253, 13/.012 है० 19/.033 है०, 20/.021 है० पूर्वी दिशा कुल 0.840 है० ग.प्रतिवादीसं० 1 औमप्रकाश को प्राप्त आराजी- चकनं० 11 आर. डबल्यू डी के प०न० 226/378 मु० 51 किलानं० 6/3/.177 है०, 6/2/.025 है० खाला, 7/.048 है० 9/.010 है० पश्चिमी दिशा मध्य भाग, 9/.002 है० दक्षिणी-पश्चिमी कॉर्नर, 10/101(भूप के दक्षिण), 10/.033 है० दक्षिणी दिशा 11/.048 है० उत्तर दिशा, 12/008 है० उत्तरी-पश्चिमी कॉर्नर, प०न० 224/377 मु० 53 किलानं० 20/2/ उतरी दिशा, 20/1/.126 है० दक्षिणी दिशा, 21/.253 है०, प०न० 223/378 मु० 54 किलानं० 15/.012 है० पूर्वी दिशा, 16/.066 है० पूर्वी दिशा, 25/.078 है० पूर्वी दिशा

अधिकारी
सहायक कलक्टर
टिब्बी

प्रतिवादीसं 2 चानणराम को प्राप्त आराजी:- चकनं 11 आर. डबल्यू डी के प०न० 226/378
0 51 किलानं 11/.090 है० दक्षिण दिशा, 12/.229 दक्षिणी पूर्वी दिशा, प०न० 223/378
0 54 किलानं 23,24/.506, 25/.175 है० पश्चिमी दिशा

प्रतिवादीसं 3 केशूराम को प्राप्त आराजी :- चकनं 11 आर. डबल्यू डी के प०न० 226/378
0 51 किलानं 7/.135 है० पश्चिमी दिशा, दक्षिण दिशा में रास्ता को छोड़कर, 8/.113 है०
0 54 किलानं 16/.175 है० पश्चिमी दिशा, 17/.253 है०, चकनं 12 आर. डबल्यू
0 54 किलानं 16/.175 है० पश्चिमी दिशा, 17/.253 है०, चकनं 12 आर. डबल्यू
डी के प०न० 227/385 मु० 28 किला नं० 5,6,15/.759, प०न० 228/379 मु० 29 किलानं०
11/.094 है० पश्चिमी दिशा, 20/.012 है० पश्चिमी दिशा

घ. प्रतिवादी सं 4 भूपसिंह को प्राप्त आराजी: -चकनं 11 आर डबल्यू डी के प०न० 226/378
मु० 51 किला नं० 8/.070 है० पश्चिमी दिशा, 9/.169 है० उत्तरी दिशा, 10/.101 है० उत्तर
दिशा, 11/.045 है० उत्तर दिशा औमप्रकाश के दक्षिण में, 12/.008 है० औमप्रकाश के दक्षिण
में

चकनं 10 आर.डबल्यू डी के प०न० 227/371 मु० 50 किलानं 5/1/.228, 5/2/.025
खाला, 6/2/.114, 6/3/.025 है० गै०मु० खाला, चकनं 12 आर. डबल्यू डी के प०न०
228/385 मु० 29 किलानं 1/.228, 2/.253, 3/1/.012 है०, 8/.003 है० उत्तर दिशा, 9/
053 है० उत्तर दिशा, 10/.050 है० उत्तर दिशा,

छ. प्रतिवादीसं 8 विनोद को प्राप्त आराजी:- चकनं 11 आर. डबल्यू डी के प०न० 223/378
मु० 54 किला नं० 14/.253, 15/.241 है० पश्चिमी दिशा, 16/.012 है० औमप्रकाश के पश्चिम
में

ज.चकनं 11 आर.डबल्यू डी के प०न० 226/378 मु० 51 किलानं 7/.019 है० दक्षिण दिशा
में औम के हिस्सा तक 8/.019 है० दक्षिण दिशा, 9/.021 है० दक्षिणी दिशा में, दक्षिणी-पश्चिमी
कॉर्नर में 24 गुणा 11 फुट जगह छोड़कर किला नं० 10 तक 10/.018 है० दक्षिण दिशा में .
033 है० जगह छोड़कर, रास्ता स्वीकृत किया जाता है व चकनं 10 आर. डबल्यू डी के खाता
सं 55/54 में से औमप्रकाश, चानणराम, केशूराम का नाम कलमजन, चकनं 12 आर. डबल्यू
डी के खाता सं 8/7 में से चानणराम व औमप्रकाश का नाम कलमजन, चकनं 11 आर.
डबल्यू.डी के खाता सं 108/102 में से रायसाहब का नाम कलमजन किये जाने के आदेश
दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक
रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि
किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) A.S)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
दिल्ली
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।